न्यायालय उप खण्ड अधिकारी रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी – अर्पिता सोनी आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 206/2019

1– स्वर्गीय सीताराम पुत्र स्व0 गणपतराम जाति ब्राहम्ण तामड़ायत निवासी रतनगढ जिला चूरू राजस्थान
1/1–अमरचन्द पुत्र स्व. सीताराम जाति ब्राहम्ण तामड़ायत निवासी रतनगढ जिला चूरू
1/2–श्रीमती सुलोचना पुत्री स्व.सीताराम धर्मपत्नी सीताराम जाति ब्राहम्ण निवासी हुडेरा तहसील रतनगढ जिला चूरू
1/3–श्रीमती लेखा पुत्री स्व0 सीसताराम धर्मपत्नी किशोरकान्त जाति ब्राहम्ण निवासी चूरू जिला चूरू
1/4–विनोद पुत्र स्व.सीताराम जाति ब्राहम्ण तामड़ायत निवासी रतनगढ जिला चूरू

प्रार्थीगण

ब ना म

1– महावीरप्रसाद पुत्र स्व. गणपतराम जाति ब्राहम्ण तामडायत निवासी रतनगढ जिला चूरू
2– शंकरलाल पुत्र स्व. गणपतराम जाति ब्राहम्ण तामडायत निवासी रतनगढ जिला चूरू
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब रतनगढ जिला चूरू

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः–1– श्रीदेवेन्द्र कुमार चोटिया एडवोकेट वास्ते प्रार्थीगण
2– तहसीलदार रतनगढ वास्ते अप्रार्थी सं. 3

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक 28.08.2019

आदेश

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक व दो सगे भाई है । जिनके एक भाई बंशीधर भी था जिसको बचपन से ही नाना के कोई लडका नहीं होने के कारण उनकी तरफ किया हुआ था और रतनगढ में नहीं रहता था रायपुर में ही कमाता खाता था जिसकी शादी नही हुई थी और कुंवारा ही लाऔलाद फौत हो चुका है ।

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

गणपतराम के चारो पुत्रो व चुन्नीलाल पुत्र बींझराज तामड़ायत के नाम की संयुक्त खातेदारी भूमि गत खसरा नम्बर 165, 206, 496 की 80 बीघा 10 विश्वा भूमि रोही कस्बा रतनगढ के राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी जिसमें चुन्नीलाल का 1/2 हिस्सा व प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या एक व दो तथा उनके भाई बंशीधर का गत सैटलमेन्ट से पहले 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज था । यह प्रार्थना पत्र गणपतराम के वारिसान के बीच है । गत सैटलमेन्ट विभाग सम्वत 2030 द्वारा बनाये गये रेकार्ड में गत खसरा नम्बर 165 व 206 के वर्तमान खसरा नम्बर 210 तादादी 10 बीघा 10 विश्वा, 211 तादादी 13 बीघा 9 विश्वा व खसरा नम्बर 418 तादादी 3 बीघा 6 विश्वा रोही कस्बा रतनगढ की भूमि मु0 सुवटी बेवा चुन्नीलाल, केशरदेव, रामावतार पि. चुन्नीलाल, मु. दुर्गा बेवा जगदीश पुत्र चुन्नीलाल बहिब 1/2 हि0 बंशीधर शंकरलाल पि. गणपतराम बहिब 1/2 हि0 के नाम से दर्ज की गई है । शामिल खाते में दर्ज गत खसरेजात की शेष भूमि अन्य लोगो के नाम से सैटलमेन्ट के दौरान दर्ज कर दी गई थी । सैटलमेन्ट विभाग द्वारा खसरा नम्बर 210, 211, 418 के राजस्व रेकार्ड प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक का नाम सैटलमेन्ट से पहले खातेदार के रूप में दर्ज होते हुए बिना अधिकार के दर्ज करने से छोड़ा गया है सैटलमेन्ट विभाग को किसी खातेदार का नाम हटाने का अधिकार नहीं है इसलिए इन खसरो के रेकार्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक का नाम कानूनन सैटलमेन्ट विभाग द्वारा दर्ज किया जाना चाहिये था । चुन्नीलाल के वारिसान ने मु. सुवटी बेवा चुन्नीलाल फौत होने के बाद केशरदेव, रामावतार व दुर्गा ने खसरा नम्बर 211 की 13 बीघा 9 विश्वा भूमि खुद के पान्ति में आया हुआ होना अंकित करते हुए रामूराम व नोरंगराम पुत्र किशनाराम जाट को सन् 1982 में विक्रय कर दी थी जो उसके नाम से दर्ज हो गई है और खसरा नम्बर 418 की भूमि, जो आबादी व सड़क के लगती हुई कीमती भूमि थी को रामावतार पुत्र चुन्नीलाल व अप्रार्थी संख्या 2 शंकरलाल ने अपने हिस्से पान्ति में आया हुआ होना कथन करते हुए सन् 1981 में कुरडाराम पुत्र भगवानाराम जाट को विक्रय कर दी जो केता के नाम से दर्ज हो गई और आगे पुनः विक्रय होकर वर्तमान में सवाईसिंह के नाम से रेकार्ड में अलग दर्ज हो गई है । वर्तमान खसरा नम्बर 210 तादादी 10 बीघा 10 विश्वा (2.6558 हेक्टर) भूमि वर्तमान रेकार्ड में अप्रार्थी संख्या दो व बंशीधर के नाम से गलत दर्ज चली आ रही है । यह प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 210 की भूमि के संबंध में ही प्रस्तुत किया जा रहा है प्रार्थी का भाई बंशीधर रतनगढ में नहीं रहता था और काश्त नहीं करता था और वह लाऔलाद कुंवारा फौत भी हो चुका है । अप्रार्थी संख्या एक महावीरप्रसाद का नाम सैटलमेन्ट से पूर्व रेकार्ड में होते हुए गलत रूप से छोड़ दिया गया और

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

प्रार्थी का नाम भी सैटलमेन्ट विभाग ने गलत रूप से छोड दिया । प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक व दो तीनो भाईयों के मध्य वादगत भूमि व शामलाती घर का बंटवारा कर लिया गया जिसके संबंध में फैमिली सैटलमेन्ट दिनांक 23.10.1982 को हो चुका है । जिसके अनुसार वादगत भूमि प्रार्थी के हिस्से में आई और शामलाती घर में प्रार्थी का हिस्सा नहीं रखा गया । घर में अगूणा आधा भाग महावीरप्रसाद अप्रार्थी संख्या एक के व आथूणा आधा भाग शंकरलाल अप्रार्थी संख्या दो के हिस्से में रखा गया । उक्त फैमिली सैटलमेन्ट के दस्तावेज पर मौजीज व्यक्तियों की मौजूदगी में तीनो के हस्ताक्षर है । फैमिली सैटलमेन्ट की लिखित के अनुसार अप्रार्थी संख्या एक व दो के हिस्से में आया मकान उन्ही के कब्जा उपयोग उपभोग में चला आ रहा है और वादगत भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में चली आ रही है तथा उक्त फैमिली सैटलमेन्ट से अप्रार्थी संख्या एक व दो कानूनन बाध्यकारी है वादगत भूमि में प्रार्थी का एक ढालिया व एक कुण्ड बनी हुई है जिसमें चौमासे के मौसम में प्रार्थी ढाणी बनाकर निवास करता है और कृषि तथा घरेलू सामान प्रार्थी का पड़ा है उक्त भूमि रतनगढ से करीब 6 किलोमीटर दूर है । लेकिन रेकार्ड में अप्रार्थी संख्या दो व बंशीधर का नाम गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है । अप्रार्थी संख्या एक व दो को वादगत भूमि के राजस्व रेकार्ड के गलत इन्द्राजो को दुरूस्त करवाते हुए भूमि प्रार्थी के नाम से दर्ज करवा देने का कई बार निवेदन किया गया । लेकिन वोह टाल मटोल करते आ रहे है अप्रार्थी संख्या दो की नियत भी खराब होने लगी है और उसके मनमे गलत इन्द्राजो के आधार पर लालच व बेईमानी आने लगी है अप्रार्थी संख्या दो के नाम से गलत इन्द्राजो के आधार पर वह जबरन कब्जा करने व प्रार्थी को येनकेन प्रकारेण बेदखल व हस्तान्तरित आदि करने की पिछले कई दिनो से धमकियां दे रहा है जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से जबरन बेदखल किये जाने और काश्त कार्य में बाधा व दखल दिये जाने का अन्देशा उत्पन्न हो गया है । अप्रार्थी संख्या दो को अपने हिस्से की कीमती भूमि विकय कर देने व फैमिली सैटलमेन्ट से पाबन्द होने के बाद वादगत भूमि के संबंध में धमकियां आदि देने का कानूनन कोई अधिकार नही है फिर भी अप्रार्थी संख्या दो द्वारा दिनांक 17.06.2018 को जबरन कब्जा करने की धमकी दी गई, जिस पर अप्रार्थी संख्या एक व दो को रेकार्ड में दुरूस्ती करवा देने व इस प्रकार की बेजा हरकते नही करने का निवेदन किया तो वे स्पष्ट इन्कार हो गया । इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को दौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित करवाने का अधिकारी है कि वे वादगत भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित व बन्धक आदि नहीं करे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में

अर्पित
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं देवे और मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे आदि आदि ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करके अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या एक ने अपने जबाब में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है तथा अप्रार्थी संख्या तीन ने राज्य हित नहीं होना जाहिर किया । अप्रार्थी संख्या बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।

बहस सुनी गई । पत्रावली को अवलोकन किया गया । वर्तमान खसरा नम्बर 210 तादादी 2.6558 हैक्टर भूमि रोही कस्बा रतनगढ के संबधं में प्रार्थीगण की ओर से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी 10 बीघ 10 विश्वा भूमि बनती है । जिसके गत सैटलमेन्ट से पहले खसरा नम्बर 206 मिलान क्षैत्रफल के अनुसार है और खसरा नम्बर 206 व 165, 496 की भूमि सम्वत 2024 की जमाबन्दी के अनुसार चुन्नीलाल पुत्र बींझराज 1/2 हिस्सा, व बंशीधर सीताराम महावीर शंकरलाल पुत्रगण गणपतराम बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा के रूप में दर्ज रही है । गत सैटलमेन्ट के बाद हाल खसरा नम्बर 210, 211 व 418 की भूमि सुवटी बेवा विमला केशरदेव रामोतार पुत्र चुन्नीलाल, मु. दुर्गा बेवा जगदीश पुत्र चुन्नीलाल 1/2हिस्सा बंशीधर शंकरलाल पुत्रगण गणपतराम 1/2 हिस्सा के रूप में दर्ज हुई है । खसरा नम्बर 210, 211, 418 के पुराने नम्बर 206 व 165 थे जिनमें आधा हिस्सा चुन्नीलाल व उनके वारिसान का व आधा हिस्सा गणपतराम के चारो पुत्रो बंशीधर सीताराम, महावीर व शंकरलाल का दर्ज था लेकिन सैटलमेन्ट के बाद आधा हिस्सा में सीताराम व महावीर का नाम दर्ज नहीं किया गया है । सेटलमेन्ट विभाग को पूर्व इन्द्राजो को बदलने का कोई अधिकार नहीं है । इसलिए प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का मामला सारवान प्रतीत होता है शंकरलाल द्वारा पूर्व में भी सैटलमेन्ट रेकार्ड के आधार पर खसरा नम्बर 418 तादादी 3 बीघा 6 विश्वा भूमि चुन्नीलाल के वारिसान के साथ मिलकर विक्रय की जा चुकी है जो विक्रय पत्र दिनांक 13.02.1981 से स्पष्ट है और चुन्नीलाल के वारिसान ने खसरा नम्बर 211 की 13 बीघा 9 विश्वा भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.04.1982 के द्वारा विक्रय कर दी है । जिनकी खातेदारी केतागण के नाम दर्ज हो जाने के बाद खसरा नम्बर 210 ही खातेदारी में शेष रहा है । प्रार्थी स्वर्गीय सीताराम व अप्रार्थी संख्या एक व दो के मध्य ईकरारनामा दिनांक 23.10.1982 को बंटवारे बाबत लिखा गया है जिसमें तीनो का शामलाती मकान अप्रार्थी संख्या एक व दो के हिस्से में व वादगत खेत खसरा नम्बर 210 प्रार्थी स्वर्गीय सीताराम के हिस्से में आया है उक्त लिखापढी को अप्रार्थी संख्या एक महावीर ने अपने जबाब में स्वीकार किया है और उक्त खसरे पर कब्जा काश्त सीताराम का चला आना भी स्वीकार किया गया है और कब्जे काश्त के संबंध में शपथ पत्र भी प्रार्थी स्वर्गीय सीताराम ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुतीकरण के समय प्रस्तुत किया है जिसका

कोई स्वप्नन नहीं हुआ है । जिससे प्रार्थी सीताराम व अप्रार्थी संख्या एक व दो के मध्य हुए लिखित इकरारनामा के अनुसार खसरा नम्बर 210 पर स्वीकृत रूप से कब्जा काश्त प्रार्थी सीताराम का चला आ रहा है और सीताराम के स्वर्गवास के पश्चात् उसके वारिसान प्रार्थीगण की श्रेणी में प्रतिस्थापित हुए है । सीताराम के पश्चात् उनका कब्जा काश्त है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला बनता है और वादगत भूमि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में चले आने से सुविधा का सन्तुलन भी उनके पक्ष में है । जिनके काश्त कार्य में बाधा व दखल दिये जाने से उन्हे अपूरक्षति पहुचेगी । इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाना उचित है ।

अतः प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वर्जित किया जाता है कि वे खसरा नम्बर 210 तादादी 2.6558 हैक्टेयर भूमि रोही कस्बा रतनगढ को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित व बन्धक नहीं करे और प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे ।

आदेश आज दिनांक 28.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)